न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 08/2019 **(75 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. हरकरण पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट/अप्रार्थी

बनाम

1. लालजी पुत्र श्योदान जाति मीणा निवासी ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।
2. कैलाशचन्द पुत्र लालजी जाति मीणा निवासी ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

..... रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण

उपस्थित :–
1. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दलेर सिंह, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 05.12.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दि0 11.01.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पो0 ने तहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र आराजी खसरा नंबर 1971 रकबा 52 एयर, 1972 रकबा 06 एयर वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा में से होकर विद्यमान रास्ता जो पूर्व से पश्चिम लगभग 130 फुट लम्बा व उत्तर से दक्षिण 12 फुट चौडा कच्चा बताया गया, दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया। जिस प्रार्थना पत्र का निस्तारण निर्णय दिनांक 11.09.2019 के द्वारा करते हुये विधि विरूद्ध तरीके पर प्रार्थीगण रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। जिस निर्णय दिनांक 11.09.2019 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस की शुरूआत करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 प्रार्थीगण ने अपीलांट अप्रार्थी के खसरा नंबर 1971 व 1972 में से खसरा नंबर 1973 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

आवागमन के लिये रास्ता चाहा था। जबकि आराजी खसरा नंबर 1971 व 1972 में से खसरा नंबर 1973 में आने जाने के लिये कोई रास्ता किसी प्रकार का ना तो पहले था व ना ही वर्तमान में मौजूद है। प्रार्थीगण ने जिस खसरा नंबर 1973 में आवागमन के लिये रास्ता चाहा था, उसके प्रार्थीगण अकेले खातेदार काबिज काश्तकार नही हैं बल्कि प्रार्थीगण उक्त आराजी के केवल 1/2 भाग के खातेदार काबिज काश्तकार हैं। बाकी 1/2 भाग के खातेदार काबिज काश्तकार भगवान सहाय, किशन लाल पुत्रान गब्दू व जैस्या पुत्र नारायण हैं। लेकिन प्रार्थीगण ने इनको प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है। यदि खसरा नंबर 1971, 1972 में से होकर खसरा नंबर 1973 में जाने के लिये कोई रास्ता होता तो खसरा नंबर 1973 के सहखातेदार काबिज काश्तकार भगवान सहाय, किशन लाल पुत्रान गब्दू व जैस्या पुत्र नारायण भी रास्ते के लिये आवेदन करते लेकिन उन्होंने कभी रास्ते के लिये आवेदन ही नही किया। जिससे स्पष्ट साबित था कि खसरा नंबर 1971, 1972 में से खसरा नंबर 1973 में आने जाने के लिये कभी कोई रास्ता ना तो था ना है। प्रार्थीगण ने खसरा नंबर 1973 का भाग गंगासिंह से क्रय करना बताया है लेकिन यह गलत है कि अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को उक्त आराजी को खरीद करने से पूर्व तथाकथित रास्ते से आवागमन हेतु सहमति प्रदान की हो। मिन अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 1973 की बाबत कराये गये बयनामा पर केवल गवाह बतौर हस्ताक्षर है। मिन अप्रार्थी ने खसरा नंबर 1971, 1972 में से रास्ता देने की बाबत बतौर सहमति कोई हस्ताक्षर नही किये। उक्त आराजी के विक्रेता व प्रार्थीगण के मध्य तहरीर तथाकथित इकरारनामा फर्जी, कूटरचित व मनगढंत तैयार कराया गया था जो ना तो पर्याप्त स्टाम्प पर तहरीर था और ना ही उपपंजीयक कार्यालय से पंजीबद्ध था। ऐसी अवस्था में तथाकथित इकरारनामा साक्ष्य में ग्रहण योग्य नही था ना ही उससे प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रार्थीगण ने जिस गंगासिंह से आराजी खरीद करना बताया है उसके पुत्र खवाण सिंह ने तहत अदालत में दिनांक 07.01.2019 को एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें उसने स्पष्ट अंकित किया है कि खसरा नंबर 1971, 1972 में से कभी कोई रास्ता नही रहा और ना ही इस आराजी में से हमारे द्वारा कोई आवागमन कभी रखा गया है। तहत अदालत द्वारा तथाकथित इकरारनामा को साक्ष्य में स्वीकार करने में कानूनी गलती की है। तथाकथित इकरारनामा में जरा भी सत्यता होती तो उसे वक्त तहरीर बयनामा दिनांक 19.09.02 में तथाकथित इकरारनामा में अंकित तथ्यों का अंकन भी किया जाता।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे तर्क किया कि प्रार्थीगण खसरा नंबर 1973 के अपने हिस्से पर आने जाने के लिये आराजी खसरा नंबर 1968 जो प्रार्थीगण व भगवान सहाय, किशन लाल पुत्रान गब्दू व जैस्या पुत्र नारायण के पास से जो भगवान सहाय, किशनलाल पुत्र गब्दू की आराजी है, में से होकर आराजी खसरा नंबर 1955 जो खसरा मोहन लाल पुत्र जयसीराम का नंबर है, जिसमें रास्ता है, में से होकर खसरा नंबर 1956 जो मोहनलाल, मुकेश, रामखिलारी, रमजू पिसरान जयसीराम के पास से होकर खसरा नंबर 1965 जो भगवानसहाय, किशनलाल पुत्रान गब्दू का नंबर है जिसमें रास्ता है जिसमें से होकर आराजी खसरा नंबर 1959 व 1960 जो लगते हुये खसरा नंबर है तथा जो खसरा नंबर जसवंत सिंह, अमर सिंह पुत्रान हरीसिंह, महावर सिंह, चतरसिंह, रतनसिंह पिसरान भवानी सिंह, मु. मगन बेवा भवानी सिंह, मु. उमा देवी बेवा श्योदान सिंह की खातेदारी की आराजी जिसमें से होकर आराजी खसरा नंबर 1938 जो गिरधारी लाल पुत्र रामनारायण, शान्ति धर्मपत्नि रामनारायण की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

खातेदारी की आराजी में से होकर मुख्य सडक को जाता है, जो मुख्य सडक बालेटा से खेडली पिचानोत की तरफ जाती है। इसकी ताईद प्रार्थीगण को भूमि विक्रेता गंगासिंह के पुत्र खवाणा सिंह ने अपने उपरोक्त प्रस्तुत शपथ पत्र में भी की है। इस प्रकार प्रार्थीगण पूर्व से ही अपनी आराजी पर आ जा रहे थे एवं वर्तमान में भी आ जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण नये रास्ते की मांग नही कर सकते और ना ही उनको नये रास्ते की आवश्यकता थी। प्रार्थीगण की खरीदशुदा आराजी अप्रार्थी की आराजी से लगती हुई भी नही है बल्कि भगवान सहाय, किशन लाल व जैस्या की आराजी से लगती हुई आराजी है। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण को अप्रार्थी की आराजी में से रास्ता दिये जाने का कोई कारण नही था क्यों कि प्रार्थीगण के पास जब पहले से ही रास्ता है तो उसे विकल्प रास्ते की आवश्यकता ही नही थी। जब प्रार्थीगण पूर्व से ही उक्त रास्ते से आवागमन कर रहे हैं तो लघुत्तम रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही थे।प्रार्थीगण कोई सुविधाजनक रास्ते की मांग नही कर सकते ना ही कानून में ऐसा कोई रास्ता प्रार्थीगण को दिये जाने का कोई प्रावधान है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस को जारी रखते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत के समक्ष तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.12.2018 प्रस्तुत की थी। जिसमें स्पष्ट लिखा था कि खसरा नंबर 1973 में जाने के लिये रास्ता खसरा नंबर 1967, 1968, 1955, 1956, 1965, 1960, 1938 में से होकर जा रहा है। जो खसरा नंबर 1971, 1972 वाले रास्ते की तुलना में बहुत ज्यादा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई। उन्होंने अपने समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये।

2018(2) RRT 1402, DNJ 2017 1, RRT 2014(1) 40, RRT 2016(1)649, 2016-17 (Supp)RRT 597, 2016(4) DNJ(raj) 1515

जबाव में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि रेस्पो0 द्वारा गांव बालेटा में ही खसरा नंबर 1973 रकबा 1.03 है0 खातेदार गंगासिंह पुत्र गोपालसिंह से खरीद किया था। उक्त आराजी में आने जाने हेतु एक रास्ता पूर्व से ही खसरा नंबर 1971, 1972 में जारी है जो कि अपीलांट के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। अपीलांट ने रेस्पो0 द्वारा उक्त आराजी को खरीद करने से पूर्व उक्त रास्ते से आवागमन हेतु पूरी सहमति प्रदान की थी जिस कारण उक्त बयनामा पर स्वयं अपीलांट ने अपने हस्ताक्षर बतौर गवाह किये हैं। उक्त आराजी के विक्रेता द्वारा व रेस्पो0 के मध्य एक इकरारनामा पंचों के समक्ष तहरीर किया गया था जिस इकरारनामा में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि हरकरण मीना एवं रामकरन मीना के बीच में होकर सदा से आता जाता रहा हूं मेरे खेत का रास्ता कदीमी से है यह इसी रास्ते में से जायेंगे। रेस्पो0 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर कृषि कार्य एवं अपने रिहायशी मकानात में आने जाने हेतु एवं कृषि यंत्र टैक्टर हल एवं पशुधन ले जाने के लिये एवं तैयार फसल को मंडी ले जाने के लिये अपीलांट की आराजी में स्थित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही था न ही वर्तमान में है। जबकि अपीलांट ने उक्त आराजी रेस्पो0 द्वारा क्रय करने से पूर्व उक्त रास्ता देने एवं रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कराने का आश्वासन दिया और इसी कारण रेस्पो0 ने उक्त आराजी खरीद की थी। खसरा नंबर 1973 जो कि रेस्पो0 की आराजी है के लगते हुये ही अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 1971 में से 12 फुट चौडा रास्ता आराजी खसरा नंबर 1970 तक जो कि खसरा नंबर 1970 आम रास्ता है यह भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

निकटतम एवं सुविधाजनक है। रेस्पो0 की अपनी आराजीयात पर आने जाने का अन्य कोई सुलभ रास्ता नही है।रेस्पो0 द्वारा अपीलांट की आराजी में ही स्थित उक्त रास्ता के अलावा रेस्पो0 के उपयोग व उपभोग के लिये पैदल आने जाने हेतु भी अन्य कोई रास्ता नही है। रेस्पो0 खसरा नंबर 1973 के खातेदार हैं।रेस्पो0 की इस आराजी से लगती हुई अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1971 एवं इसके बाद लगती हुई खसरा नंबर 1970 जो कि आम रास्ता मैन रोड है। इसके अलावा रेस्पो0 की आराजीयात में आने जाने का अब कोई रास्ता नही है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1967, 1968, 1955, 1956, 1965, 1960, 1938 में होकर जो पूर्व से ही चालू रास्ता बताया गया है वो रास्ता खसरा नंबर 1956 गै0 मु0 चाह तक ही चालू है। उससे करीब 1 किमी दूर मुख्य सडक है।उक्त खसरा नंबर 1971 व 1972 का रकबा ही रेस्पो0 की आराजीयात पर जाने के लिये एकमात्र निकटतम एवं लघुत्तम एवं सुविधाजनक रास्ता है।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा जारी बहस के दौरान आगे तर्क किया कि ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी एवं पंच व सरपंच द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 08.02.2017 को बनाई गई जिसमें पंच सरपंच एवं कमेटी सदस्य तथा पडौसी अन्य ग्राम वासियान के हस्ताक्षर है। जिस रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से अंकन है कि आराजी खसरा नंबर 1973 में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है सिर्फ खसरा नंबर 1971 व 1972 में ही होकर रास्ता है। एवं उक्त रास्ता हमेशा से उपयोग व उपभोग कर रहे हैं जिसे अपीलांट ने बंद कर दिया है। पटवारी हलका द्वारा भी तहसीलदार के आदेशानुसार दिनांक 24.01.2017 को मौका रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार साहब को प्रेषित की जिसमें भी स्पष्ट रूप से अंकन है कि आराजी खसरा नंबर 1973 के लिये खसरा नंबर 1971 व 1972 में से ही रास्ता कृषि यंत्रों को लाने ले जाने एवं आने जाने के लिये है जो रास्ता 50 वर्षो से जारी है अन्य कोई रास्ता नही है।जो अपीलांट ने बंद कर दिया है। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में नही है तथा रेस्पो0 नियमानुसार रास्ते की जमीन की कीमत अदा कर रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कराने के अधिकारी हैं। रेस्पो0 उक्त मार्ग को खुलवाकर राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित कराना चाहते हैं जिस हेतु नियमानुसार प्रतिकर राशि भी अदा करने को तैयार है तथा स्वयं की आराजी पर आवागमन हेतु रास्ता चाहते हैं। उन्होंने अपने समर्थन में निम्न दृष्टांत पेश किये।

RRT 2015(2) 1003, RRT 2019(1) 574, RRT 2018(1) 756, RRT 2016(1) 440.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दि0 11.01.2019 का अवलोकन किया गया । साथ ही अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नही होते क्यों कि तहत अदालत का आदेश स्वयं स्पष्ट है। तहसीलदार द्वारा दो बार मौका देखा गया है। रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। अपीलांट द्वारा स्वयं ही पूर्व में आने जाने का रास्ता बंद किया है।

रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं क्यों कि नियमानुसार रास्ते का आदेश किया गया है। तहत अदालत द्वारा कम से कम दूरी का रास्ता कायम किया है। तहसीलदार द्वारा दो बार मौका निरीक्षण किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अपील के तथ्यों का अवलोकन किया ।

तहसीलदार मालाखेडा द्वारा विवादित आराजी का मौका निरीक्षण करते हुये रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि मौके पर आराजी खसरा नंबर 1973 में जाने के लिये खसरा नंबर 1971 व 1972 में होकर जो रास्ता गुजरता है वो रास्ता वर्तमान में मौके पर दीवार कर रोक रखा है। खसरा नंबर 1973 का निकटतम रास्ता है। आराजी खसरा नंबर 1967, 1968, 1955, 1956, 1965, 1960, 1938 में होकर जो पूर्व से ही चालू रास्ता बताया गया है वो रास्ता खसरा नंबर 1956 गैर मुमकिन चाह तक ही चालू है। आराजी खसरा नंबर 1973 के लिये कोई रास्ता मौके पर चालू नही है। खसरा नंबर 1971, 1972 वाले रास्ते की तुलना में बहुत ज्यादा है एवं खसरा संख्या 1956 तक ही चालू है। दोनों ही रास्ते रिकार्डेड दर्ज नही हैं। रेस्पो0 द्वारा भी दोनों में से कोई एक रास्ता विकल्प में चाहा गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार तहत अदालत द्वारा न्याय की भावना को दृष्टिगत रखते हुये निकटतम रास्ता दिये जाने का आदेश दिया है वह विद्वतापूर्वक साम्यदृष्टिकोण से कानून की भावना के अनुसार दिया गया है। इस आदेश में न्यायालय फेरबदल, परिवर्तन करना उचित नही समझता है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का निर्णय दि0 11.01.2019 यथावत रखा जाता है। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5.12.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)